न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 131/2022/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़

दायरा दिनांकः 19.07.2023

अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. मांगीलाल
2. मुकेश कुमार पिसरान दुर्गालाल अकवाम कुल्मी निवासी मुण्डला तहसील रायपुर जिला झालावाड राजस्थान

.....अपीलार्थीगण

1. कृष्णाबाई पत्नी मुकेश कुमार पुत्री कन्हैयालाल जाति कुल्मी निवासी मुण्डला तहसील रायपुर जिला झालावाड राजस्थान
2. सरपंच ग्राम पंचायत दीवलखेड़ा पंचायत समिति पिड़ावा वाया रायपुर, तहसील रायपुर जिला झालावाड राजस्थान

.....रेस्पो0

उपस्थित : श्री गोविन्द नामदेव, अभिभाषक – अपीलांट्स
श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, श्री भानुप्रताप सिंह, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1

::निर्णय::

दिनांक 26.03.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा द्वारा प्रकरण संख्या 06/2017/अपील उनवान मांगीलाल वगे0 बनाम कृष्णा बाई वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2022 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट्स के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील पेश कर ग्राम पंचायत दीवलखेड़ा के द्वारा निर्णित नामांतरकरण सं0 1121 दिनांक 21.03.2017 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार शंकरलाल की वादग्रस्त आराजी में धापूबाई का नाम दर्ज होने पर तथा धापू बाई पुत्री शंकरलाल के द्वारा दिनांक 22.12.2016 को ग्राम मुडला की वादग्रस्त आराजी में से अपना हिस्सा कृष्णाबाई पत्नि मुकेश कुमार पुत्री कन्हैयालाल (रेस्पो0 सं 1) के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत किये जाने पर उसके आधार पर खातेदार धापूबाई की मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत दीवलचोड़ा द्वारा नामांतरकरण सं0 1121 दिनांक 21.03.2017 को तस्दीक किये जाने पर उक्त नामांतरकरण में किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं होना प्रकट करते हुए अपीलांट की अपील निर्णय दिनांक 15.09.2022 से खारिज की गई।

2. अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने वसीयत के साक्षियों के कथन दर्ज किए बिना ही नामान्तकरण दर्ज किया है जबकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63सी तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 के तहत वसीयत के निष्पादन के समय रहे कम से कम एक साक्षी को न्यायालय में परीक्षित किये जाने या उसके कथन दर्ज किया जाना आज्ञापक प्रावधान हैं, उसके अभाव में वसीयत के आधार पर दर्ज नामांतरकरण अवैधानिक है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी निर्णय के दौरान संज्ञान में नहीं लिया गया। नामान्तरकरण दर्ज करते समय 135 की उपधारा 2 के अनुसार नामांतरकरण दर्ज की जाने वाली भूमि पर वसीयत के निष्पादक का कब्जा रहा है या नहीं तथा जिसके नाम वसीयत की है उसके कब्जे काश्त की क्या स्थिति है, की जाँच करवाई जाना आवश्यक था। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वसीयत निष्पादन करने वाली खातेदार ने अपने पिता शंकरलाल की मृत्यु के समय दर्ज होने वाले नामान्तरकरण संख्या 401 के दर्ज होते समय भूमि में अपना हक लेने से इंकार कर दिया था, जिस कारण उसका उक्त भूमि पर कोई हक व कब्जा नहीं था, उसका भूमि में नाम दर्ज हो जाने को न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिडावा में भी चुनोती दे रखी है। रेस्पो0 संख्या 1 तथा उसके पूर्व उसे वसीयत कराने वाली धापूबाई ने कभी भी लगान का भुगतान नहीं किया है, जबकि नामांतरकण का उद्देश्य वित्तीय होता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.09.2022 अपास्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत की जांच नहीं की गई और न ही वादग्रस्त आराजी पर कब्जे की जांच की गई। घापू बाई द्वारा हक त्याग किया जा चुका था। नामांतरकरण संख्या 401 के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा के यहां वाद जेरकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है और न ही किसी प्रकार का विवेचन किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.09.2022 निरस्त फरमाया जाने का अनुरोध किया गया।

5. रेस्पो0 क्र. 1 अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अपीलांट के द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.09.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। पूर्व में नामांतरकरण सं0 401 दिनांक 27.08.1998 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा के अपील प्रकरण सं0 14/2015 में निर्णय दिनांक 09.06.2016 से नामांतरकरण संख्या 401 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, पिड़ावा को रिमांड किया गया। जिसकी अपील अपीलांट के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के यहां प्रस्तुत करने पर प्रकरण सं0 73/2016 उनवान मांगीलाल वगे0 बनाम धापूबाई वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2016 से अपील अपीलांट खारिज की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा का निर्णय दिनांक 09.06.2016 को यथावत रखा गया है। तहसीलदार,

26-3-2025
अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

पिड़ावा द्वारा धापू बाई के पक्ष में नामांतरकरण खोला गया। राजस्थान भू–प्रबंध नियम 132 के तहत रजिस्डर्ट दस्तावेज की जांच आवश्यक नहीं है। अपीलांट का कोई लोकस स्टेण्डी नहीं है तथा अपीलांट धापू बाई के वारिस नहीं है। सिविल न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन है तथा अपीलांट को आक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलांट्स के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील पेश कर ग्राम पंचायत दीवलखेड़ा के द्वारा निर्णित नामांतरकरण सं0 1121 दिनांक 21.03.2017 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार शंकरलाल की वादग्रस्त आराजी में धापूबाई का नाम दर्ज होने पर तथा धापू बाई पुत्री शंकरलाल के द्वारा दिनांक 22.12.2016 को ग्राम मुडला की वादग्रस्त आराजी में से अपना हिस्सा कृष्णाबाई पत्नि मुकेश कुमार पुत्री कन्हैयालाल (रेस्पो0 सं 1) के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत किये जाने पर उसके आधार पर खातेदार धापूबाई की मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत दीवलचोड़ा द्वारा नामांतरकरण सं0 1121 दिनांक 21.03.2017 को तस्दीक किये जाने पर उक्त नामांतरकरण में किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं होना प्रकट करते हुए अपीलांट की अपील निर्णय दिनांक 15.09.2022 से खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत की जांच नहीं की गई और न ही वादग्रस्त आराजी पर कब्जे की जांच की गई। घापू बाई द्वारा हक त्याग किया जा चुका था। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली को अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर तस्दीक नामांतरकरण को उचित माना। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज नामांतरकरण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालाय द्वारा अपील निरस्त कर कोई त्रुटि नहीं की गयी। रजिस्टर्ड वसीयत की जांच की आवश्यकता नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2022 न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

26-3-2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा